1. यह की अंचल - सोनपुर जिला- सारण हल्का - खरिका में खता - 313 खेसरा-468 जमाबंदी – 54/760 में स्व रामलगन सिंह के पुत्रो श्री सुरेंद्र सिंह , उपेंद्र सिंह, नागरेंद्र सिंह, अशोक कुमार सिंह, एवं राधा चरण सिंह के नाम से रसीद काट रहे है एवं पृष्ठ- २ में है ।
2. यह की दिनाक 16/09/2022 को ब्रजेश कुमार (स्व रामदेव सिंह) के परिजनों द्वारा खता - 313 खेसरा-468 के 3.533 डिसमल जमीन पर दाखिल ख़ारिज करने के लिए याचिका 3567/2022 - 2023 दी गई थी। इस याचिका के साथ एक फर्जी रजिस्ट्री दस्तावेज दिया गया था जिसमे लिखा था के स्व रामलगन सिंह ने 20/06/1958 को स्व रामदेव सिंह को 3.533 जमीन रजिस्ट्री कर दी थे जिसका बिक्री केवल संख्या 3476 - 20/06/1958 है।
3. यह की बिक्री केवल संख्या 3476 - 20/06/1958 एक फर्जी संख्या है। छपरा एवं सोनपुर रजिस्ट्री ऑफिस में इस केवल सिंख्या किसी दूसरे की नाम एवं जमीन की रजिस्ट्री को दिखता है । इस रजिस्ट्री से स्व रामलगन सिंह एवं 313-468 जमीन का कोई लेना देना नहीं है। हमने सरे दस्तावेज जो रजिस्ट्री ऑफिस से प्राप्त हुए है महोदय की समक्ष रखा है।
4. अतः महोदय से अनुरोध है की सरे दस्तावेज को देख कर दाखिल ख़ारिज 3567/2022 - 2023 को निरस्त किया जाए ।